

कार्यालय कलेक्टर, जिला-कबीरधाम एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़
शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक- 19/07/2019

क्रमांक/6484/04 अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, (जिसे एत् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।


—: अनुसूची :-

भूमि का वर्णन :-

- | | | |
|--------------------|---|----------------------|
| (1) जिला | — | कबीरधाम |
| (2) तहसील | — | सहसपुर लोहारा |
| (3) नगर/ग्राम | — | टाटावाही, प0ह0नं0-15 |
| (4) लगभग क्षेत्रफल | — | 0.171 हेक्टे. |

खसरा नंबर	रकबा
66/2	0.056 हे.
66/5	0.056 हे.
75/6	0.059 हे.
कुल ख0नं0 - 03, कुल रकबा 0.171 हे.	

- (2) भूमि का नक्शा(प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कवर्धा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अवनीश कुमार शरण)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा विभाग जिला-कबीरधाम